REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062022-236646 CG-DL-E-16062022-236646

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

| सं. 2640] | नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 16, 2022/ज्येष्ठ 26, 1944 |
|-----------|--|
| No. 2640] | NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 16, 2022/JYAISHTHA 26, 1944 |

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2022

का.आ. 2773(अ).— केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांक 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत:-

उक्त अनुसूची में, क्रम सं. 343 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

| क्र.सं . | नई रारा सं. | राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण |
|----------|-------------|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 343 | 146बी | मध्य प्रदेश राज्य में बुधनी के पास रारा-46 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर कोसमी, |
| | | रेहती, नसरुल्लागंज को जोड़ने वाला और संदलपुर के पास रारा-47 के साथ अपने |
| | | जंक्शन पर समाप्त होने वाला तथा फिर से बुधनी के पास रारा-46 के साथ अपने जंक्शन |

सारणी

| से शुरू होकर बकतारा को जोड़ने वाला और बड़ी के पास रारा-45 के साथ अपने जंक्शन |
|--|
| पर समाप्त होने वाला राजमार्ग। |

[फा.सं. एनएच-14012/12/2021-पी ऐंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और तत्संबंधी अनुसूची, भारत के राजपत्र दिनांक 4 अप्रैल, 2011 को अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांक 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी

और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. का. आ. 2253 (अ), दिनांक 17 मई, 2022 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2022

S.O. 2773 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) vide number S.O. 689(E) dated the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 343 and entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

| Serial No. | New National Highway No. | Description of National Highways |
|---------------|-----------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 343 | 146B | The highway starting from its junction with NH-46 near Budhni connecting Kosmi, Rehti, Nasrullahganj and terminating at its junction with NH-47 near Sandalpur and again starting from its junction with NH-46 near Budhni connecting Baktara and terminating at its junction with NH-45 near Badi in the state of Madhya Pradesh. |

[F. No. NH-14012/12/2021-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

Footnote:- The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 2253 (E), dated 17th May, 2022.